न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम

दावा सं० 220/16

सोना कुमारी बनाम तहसीलदार

28/7/16 वादी मय वकील उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। आइन्दा पत्रावली दिनांक 10/8/16 को पेश हो

10/8/16 पुकार कराई/वादी/उपस्थित पीठासीन अधिकारी बाहर पधारे हैं आयन्दा पत्रावली दि. 29.8.16 को पेश होवे।

29/8/16 बास्ते जवाब हाजिर पत्रा. 31-8-16 को पेश हो।

31/8/16 जवाब सरकार पेश हुआ। राजीनामा होते नहीं बताया। [illegible] PW-1 [illegible], PW-2 [illegible], PW-3 [illegible] [illegible] बास्ते बहस दि. 7-9-16 को पेश हो।

7/9/16 बहस सुनी [illegible] बास्ते आदेश पत्रा. 21-9-16 को पेश हो।

21/9/16 बास्ते आदेश पत्रा. दिनांक 27-9-16 को पेश हो।

27/9/16 [illegible] प्रार्थी उप. । [illegible] [illegible] निर्णय अलग से [illegible] जाकर [illegible] पत्रा. [illegible] पत्रा. [illegible] दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर
पीठासीन अधिकारीः बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
220 / 2016	28 / 07 / 2016	27-9.16

अनुवान

1. सोनाकुमारी उम्र करीब 26 साल पुत्री राजेन्द्रकुमार उर्फ राजू जाति अहीर निवासी ग्राम मीरपुर तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज.।
2. हीनाकुमारी उम्र करीब 23 साल पुत्री राजेन्द्रकुमार उर्फ राजू जाति अहीर निवासी ग्राम मीरपुर तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज।

:—वादियागण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज।

:— प्रतिवादी

दावा दुरूस्ती इन्द्राज
अंतर्गत धारा 89, राज0 टी0 ऐ0 1955

उपस्थितः
1. श्री नरहरि व्यास अधिवक्ता, वादीयागण

निर्णय

वादीयागण द्वारा एक वाद दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में पेश किया कि विवादित आराजी हाल खसरा सं0 23 / 2—04, 250 / 1—01, 556 / 0—08, 569 / 1—01, 625 / 0—14, 687 / 0—07, 695 / 1—00, 703 / 0—13 बीघा कुल किता 8 कुल रकबा 7 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम मीरपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज. में स्थित है। आराजी मुतदाविया में वादियागण एंव उनकी माता सुमित्रा 1 / 12 हिस्से के काबिज काश्त खातेदार हैं,

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 23 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा में से वादियागण की माता सुमित्रा द्वारा अपना 1/30 हिस्सा का बेचान शेरसिंह पुत्र श्री केहरसिंह को किया जा चुका है। जिसके नाम नामान्तरकरण सं0 687 दर्ज वो मंजूर हो चुका है। वादियागण का खातेदारी का इन्द्राज जमाबंदी में हो रहा है चूँकि जमाबंदी मुर्तिब करते वक्त वादनी नं0 1 को गॉव में लाड–प्यार से उपनाम रीना से सम्बोधित किया जाता था, तथा वादनी नं. 2 को ईना उपनाम से सम्बोधित किया जाता था। जबकि असल में वादनी नं0 1 सोना कुमारी एंव वादनी नं. 2 हीनाकुमारी पुत्रीयान राजेन्द्रकुमार उर्फ राजू है। लिहाजा नाम की त्रुटि मौजूदा वाद में विवादित है। राजस्व रिकोर्ड में जमाबंदियात में वादनी नं. 1 का नाम सोना कुमारी की बजाय रीना एंव वादनी नं0 2 हीना कुमारी की बजाय ईना दर्ज होने की हल्का पटवारी से हाल ही में जानकारी मिली है। यदि उक्त नाम की पुनरावृति होती रही तो भविष्य में भी वादियागण को कठिनाईयों को सामना करना पडेगा। लिहाजा मौजूदा वाद इन्द्राज दुरूस्ती दायर करना लाजिम आया है। हम वादियागण का पहचानपत्र वो सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि में नाम वादनी नं. 1 का सोनाकुमारी वो वादनी नं. 2 हीनाकुमारी दर्ज हैं यानि कि हम वादियागण ही सोनाकुमारी वो हीनाकुमारी हैं। यद्यपि वादनी नं. 1 वो 2 को क्रमशः रीना, ईना से भी सम्बोधित किया जाता हैं किन्तु समस्त रिकोर्ड पहचानपत्र इत्यादि में क्रमशः सोनाकुमारी एंव हीनाकुमारी दर्ज है एंव इसी नाम से वादियागण अपने–अपने हस्ताक्षर करती है। ऐसी सूरत में जमाबंदी में गलत अंकन हो रहा है उसे कलमजल, हजफ कर हटाया जावे और इसके स्थान पर जमाबंदीया तमे सोनाकुमारी ,हीनाकुमारी पुत्रीयान राजेन्द्रकुमार दर्ज किया जावे। इन गलत नाम के अंकन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.5.2016 को हल्का पटवारी से नकल जमाबंदी लेने पर हुई। जिसके बाद वादियागण ने प्रतिवादी से शुद्विपत्र भरवाकर शुद्व करने का निवेदन किया तथा हम वादियागण के नाम की त्रुटि राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश हो गई। जिसे दुरूस्त कराने को वादियागण ने प्रतिवादी से कहा तो प्रतिवादी ने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने का कथन करते हुये इंकार कर दिया। यदि गलत अंकन बना रहता है तो वादियागण को कठिनाईयो का

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

सामना करना पडेगा। लिहाजा जमाबंदियात को दुरूस्त किया जाकर रीना के स्थान पर सोनाकुमारी वो ईना के स्थान पर हीनाकुमारी वादियागण दर्ज किया जावे। दावा हाजा के लिये बिनायदवामी वो बिनायमुखसमत दिनांक 28.5.16 को पैदा हुई जिस रोज सर्वप्रथम हल्का पटवारी से नकल जबाबंदी लेने पर गलत नाम के अंकन की हुई एंव गलत अंकन को दुरूस्त कराने से इंकार किया जिससे दावा हाजा अन्दर अवधि पेश किया है। अतः प्रार्थना है कि वाद वादियागण बहक वादियागण विरूद्ध प्रतिवादी अः – डिकी इजराय इन्द्राज दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि जमाबंदियात (राजस्व रिकोर्ड) के कॉलम नं. 4 में वादियागण के नाम का गलत इन्द्राज रीना व ईना हो रहा है उसे खसरा सं0 23/2–04, 250/1–01, 556/0–08, 569/1–01, 625/0–14, 687/0–07, 695/1–00, 703/0–13 बीघा कुल किता 8 कुल रकबा 7 बीघा बिस्वा वाके ग्राम मीरपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज. से कलमजन कर हजफ कर हटाया जावे एंव इसके स्थान पर सोनाकुमारी वो हीनाकुमारी पुत्रीयान राजेन्द्रकुमार उर्फ राजू दर्ज किया जावे। यदि न्यायालय विकल्प में उचित समझती है तो वादियागण के असल नाम का अंकन उर्फ लगाकर किया जावे। बः अन्य दीगर दादरसी जो अदालत श्रीमान मुनासिब समझे वादियागण को अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी पैरोकार को सुनवाई का अवसर दिया गया।

प्रतिवादी तहसीलदार ने जवाब पेश किया कि प्रस्तुत वाद में राज्यहित निहित प्रभावित नहीं है।

वादियागण के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी गयी।

वादियागण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि जमाबंदियात (राजस्व रिकोर्ड) के कॉलम नं. 4 में वादियागण के नाम का गलत इन्द्राज रीना व ईना हो रहा है उसे कलमजन कर हजफ कर हटाया जावे एंव इसके स्थान पर

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

सोनाकुमारी वो हीनाकुमारी पुत्रीयान राजेन्द्रकुमार उर्फ राजू दर्ज किया जावे।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता वादियागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। शैक्षणिक अंकतालिका , मतदाता पहचान पत्र में वादिया – 1 का नाम सोनाकुमारी व वादिया 2 का नाम हीनाकुमारी पुत्रियान राजेन्द्रकुमार दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत टेउवास द्वारा भी वादिया 1 का नाम सोनाकुमारी व वादिया–2 का नाम हीनाकुमारी पुत्रियान राजेन्द्रकुमार सही होना अपने पत्र में अंकित किया है। राजस्व रिकोर्ड में वादियागण का नाम रीना व ईना गलत दर्ज होना साबित है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वादियागण का वाद डिक्री किया जाता हैं राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में वादिया–1 का गलत नाम रीना व वादिया –2 का गलत नाम ईना कलमजन किये जाकर वादिया–1 का सही नाम सोनाकुमारी व वादिया सं. 2 का सही नाम हीनाकुमारी पुत्रियान राजेन्द्रकुमार उर्फ राजू जाति अहीर निवासी मीरपूर तह.0 कोटकासिम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रा0 नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिम्बा)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
220 / 2016	28 / 07 / 2016	

१।ग (उ.)
/6

अनुवान

1. सोनाकुमारी उम्र करीब 26 साल पुत्री राजेन्द्रकुमार उर्फ राजू जाति अहीर निवासी ग्राम मीरपुर तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज.।
2. हीनाकुमारी उम्र करीब 23 साल पुत्री राजेन्द्रकुमार उर्फ राजू जाति अहीर निवासी ग्राम मीरपुर तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज।

:—वादियागण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज।

:— प्रतिवादी

दावा दुरूस्ती इन्द्राज
अंतर्गत धारा 89, राज0 टी0 ऐ0 1955

उपस्थितः
1. श्री नरहरि व्यास अधिवक्ता, वादीयागण

निर्णय

वादियागण का वाद डिकी किया जाता हैं राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में वादिया—1 का गलत नाम रीना व वादिया —2 का गलत नाम ईना कलमजन किये जाकर वादिया—1 का सही नाम सोनाकुमारी व वादिया सं. 2 का सही नाम हीनाकुमारी पुत्रियान राजेन्द्रकुमार उर्फ राजू जाति अहीर निवासी मीरपूर तह.0 कोटकासिम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिकी जारी की जावे। पत्रा0 नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

पर्चा डिकी आज दिनांक 27.09.2016 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर न्यायालय से जारी की जाती है।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner